आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-134/2022

बैरिस्टर राय.....वादी

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी

23.06.2023

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-2772/2020, बैरिस्टर राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 04.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैं:-

"Since the petitioner has not exhausted his remedy of revision, we are not inclined to entertain this petition. Should a revision application be filed before appropriate authority within a period of 30 days, the same shall be taken up for consideration and after giving reasonably sufficient time to the petitioner for representing his cause, a reasoned order shall be passed within a period of 60 days thereafter. The order so passed by the Revisional Authority shall be made available to the petitioner forthwith."

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह हैं कि वादी श्री बैरिस्टर राय, पिता-शिवपूजन राय, ग्राम-बार्मो, ग्राम पंचायत राज बंधौली बनौरा, प्रखंड-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानदार रहे है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर द्वारा दिनांक 01.03.2019 को वादी के जन वितरण प्रणाली केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में प्रकाश में आए निम्नलिखित अनियमितताओं के विन्दु पर विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी:-

(i) विक्रेता का दुकान कार्यावधि में बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया गया।

(ii) विक्रेता के द्वारा निर्धारित फूड कैलेण्डर के अवधि के दौरान निरीक्षण की तिथि तक माह फरवरी 2019 का खाद्यान्न एवं किरासन तेल उपभोक्ताओं के बीच वितरण नहीं किया गया था एवं एक माह के अंतराल पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है।

(iii) कलावती देवी द्वारा लिखित बयान दिया गया कि जब विक्रेता के पास राशन लेने के लिए गए तो विक्रेता द्वारा बताया गया कि राशन खत्म हो गया है एवं राशन प्रत्येक माह न देकर एक माह के अंतराल पर दिया जाता है।

(iv) लालती देवी के पति मदन राय द्वारा लिखित बयान दिया गया कि माह फरवरी 2019 का राशन/किरासन तेल का सूचना विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया एवं दो माह पर एक बार राशन देते है तथा राशन तीन रूपये के दर से देते है।

(iv) कलावती देवी, मनतुरिया देवी, चन्द्रशेखर राम के देवर, निलम देवी एवं कौलेश्वरी देवी द्वारा लिखित बयान दिया गया कि माह जनवरी 2019 तक खाद्यान्न/किरासन तेल मिला

है, फरवरी का नहीं मिला है।

(vi) सिजतिया देवी की बहु सोना देवी एवं देवन्ती देवी के पति हिरामन महतो द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि माह फरवरी 2019 का खाद्यान्न नहीं मिला है एवं प्रत्येक माह राशन नहीं मिलता है एवं एक माह के अंतराल पर मिलता है।

इस संबंध में विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को इस आधार पर असंतोषजनक पाया गया कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के साथ कुल दश राशनकार्डधारकों का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था जिनमें से सात कार्डधारकों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विक्रेता के विरूद्ध बयान दिया गया है। उपस्थित कार्डधारकों द्वारा बताया गया कि शपथ-पत्र पर उनका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं है, जिससे इस बात की पुष्टि हुयी कि विक्रेता द्वारा अपने पक्ष में फर्जीवाड़ा किया गया है। विक्रेता को **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के कंडिका 14(i)-अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा। एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।, 14(iii)-अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात राशन कार्ड को प्रतिधारित नहीं करेगा।, 14(iv)-अनुज्ञप्तिधारी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विहित खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारक को उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों का विक्रय करेगा। साथ ही अनुप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं की ब्रिकी के पश्चात प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमैमों (अनुसूची-05 के अनुसार) देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेगा। कैशमेमों की कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगी, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या और पता भी मुद्रित रहेगा।, 14(viii)-निरीक्षी पदाधिकारियों के निदेश के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के आवंटन और वितरण से संबंधित बहियों और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जैसा कि निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा मांगी जाए।, 14(x)-अनुज्ञप्तिधारी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित विनिर्दिष्ट समय के अनुसार उचित मूल्य की दुकान को खोलेगा एवं बंद करेगा के उल्लंघन का दोषी पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश दिनांक 17.05.2019 द्वारा उनकी पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति सं0-98/2016, तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 32(i)** के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष आपूर्ति अपीलवाद सं0-09/2019 दायर किया गया। वाद की विधिवत सुनवाई के पश्चात दिनांक 11.12.2019 को पारित आदेश में वादी के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया तथा अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है। अपीलीय प्राधिकार के आदेश से असंतुष्ट होकर वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सी0डब्यू0जे0सी0 सं0-2772/2020 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 04.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान

अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित उपभोक्ताओं द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर इस बात को स्वीकार किया गया हैं कि विक्रेता द्वारा उन्हें नियमित रूप से तथा निर्धारित मूल्य पर ही राशन का वितरण किया जाता है तथा विक्रेता के प्रति उनकी कोई शिकायत नहीं है। इस क्रम में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 15(i) में स्पष्ट किया गया है कि माह मार्च से माह अगस्त तक पी0डी0एस0 दुकान का संचालन प्रातः 7.00 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक किया जाना है परंतु निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा निरीक्षण की तिथि दिनांक 01.03.2019 को अपराहन 1.50 बजे दुकान का निरीक्षण किया गया है, जो नियमविरूद्ध है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि वादी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया हैं कि संबंधित उपभोक्ताओं को राशन-किरासन का वितरण ग्राम पंचायत निगरानी समिति की उपस्थिति में किया जा चुका है। परंतु अपीलीय प्राधिकार द्वारा उक्त पर कोई विचार नहीं करते हुए आदेश पारित कर दिया गया है। अंत में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वादी को कारण-पृच्छा नोटिश के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जो कानून की नजर में त्रुटिपूर्ण है।

उक्त कथनों के आधार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी के तर्कों का खंडन कर बताया गया कि वादी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ 10 उपभोक्ताओं यथा कौलेश्वरी देवी पति-मंगल महतो, मनतुरिया देवी, पति-बिन्दा महतो, निलम देवी पति-उमेश महतो, कलावती देवी, पति-विरेन्द्र महतो, देवान्ति देवी पति-हीरामन महतो, लालती देवी, पति-मदन राय, सिजतिया देवी, पति-सिपाही राय, सिमरखिया देवी पति-मनक महतो, कलावती देवी एवं चन्देश्वर राय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें राशन-किरासन का वितरण ससमय एवं निर्धारित मूल्य पर किए जाने तथा दुकानदार के प्रति कोई शिकायत नहीं रहने का उल्लेख किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा आगे बताया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष कुल आठ यथा सिपतिया देवी (राशन कार्ड सं0-30600047), चन्देश्वर राय (राशन कार्ड सं0-30600048) की पत्नी सोना देवी, सीमरखिया देवी (राशन कार्ड सं0-30600041), गिरिजा देवी (राशन कार्ड सं0-31700068) एवं उनके पुत्र विरेन्द्र, कलावती देवी (राशन कार्ड सं0-30600042) के पति विरेन्द्र महतो, निलम देवी (राशन कार्ड सं0-30600040), लालती देवी (राशन कार्ड सं0-30600053) एवं मनतुरिया देवी (कार्ड सं0-30600038) द्वारा उपस्थित होकर शपथ-पत्र में अपने हस्ताक्षर अथवा निशान से इंकार किया गया है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वादी द्वारा फर्जीवाड़ा कर अपने पक्ष में शपथ-पत्र तैयार किया गया है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि वादी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उन्हें जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि वादी को जाँच प्रतिवेदन की

प्रति प्राप्त नहीं थी तो इसका उल्लेख उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में तथा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष भी किया जाना चाहिए था। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अंत में यह भी बताया गया कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि *"जहा तक समय की बात है तो अनुमण्डल पदाधिकारी को या किसी जाँच पदाधिकारी को दुकान खुलने के समय पर ही जाँच किया जाना चाहिए था परंतु समय पर जाँच नहीं किया गया फिर भी उपभोक्ताओं से लिए गए बयान और उनके भंडार पंजी में अंकित विवरणी के आधार पर स्पष्ट है कि दुकानदार द्वारा खाद्यान्न और किरासन तेल वितरण में विक्रेता द्वारा अनियमितता किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन किय गया है।"*

उक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के प्रावधानों के अनुरूप है, अतएव उसे यथावत रखा जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय अभिलेख के सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुनने से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद का मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है:-

(i) <u>निरीक्षण का समयः</u>- यद्वपि निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत पी0डी0एस0 दुकान का निरीक्षण अपराहन-1.50 बजे किया गया है परंतु वादी द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के सुसंगत कंडिकाओं के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य उनके पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण हेतु पर्याप्त आधार प्रतीत होते है।

(ii) <u>निगरानी समिति के समक्ष खाद्यान्न का वितरण किया जानाः</u>-वादी द्वारा अपने याचिका में एवं सुनवाई के क्रम में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत निगरानी समिति की उपस्थिति में खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जाता है। परन्तु अभिलेख के अवलोकन में तथा इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में भी ग्राम पंचायत निगरानी समिति के समक्ष खाद्यान्न वितरण किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। निरीक्षण के समय उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा वादी पर राशन/किरासन के वितरण में लगाए गए अनियमितता का आरोप एवं उपलब्ध साक्ष्य अपने आप में **बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है।

(iii) <u>कारण-पृच्छ के मांग के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं कराया जानाः-</u>

वादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज को प्रेषित अपने स्पष्टीकरण दिनांक 14.03.2019 में अंकित किया गया है कि *".....इस कारण-पृच्छ नोटिश एवं संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमान जाँच पदाधिकारी ने मेरी दुकान का निरीक्षण 1.50 बजे अपराहन में किया गया है....."*। उक्त से स्पष्ट है कि वादी को कारण-पृच्छ नोटिश के साथ ही निरीक्षण प्रपत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी थी। ऐसे में उनका दावा मान्य नहीं है।

उपर्युक्त विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर आपूर्ति अपीलवाद सं0-09/2019 में समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा दिनांक 11.12.2019 को पारित आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।